This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

:: आदेश ::

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एवं दिनांक 11.06.2013 को जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	राजस्व उपनिरीक्षक	सह-अध्यक्ष
3.	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4.	प्रधानाचार्य, प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0/जू0हा0/इण्टर	सदस्य
5.	अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह/महिला मं0 दल/यु0मं0 दल	सदस्य
6.	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8.	ए0एन0एम0/आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9.	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10.	ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितयाँ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अन्तर्गत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यों में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :-

1. ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
2. तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
3. अवस्थापना संबंधी यथा-बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

कार्यालय–जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,उत्तरकाशी।

संख्या– 425/13–28 (2009–10) दिनांक 13 जून, 2013

प्रतिलिपि–

1. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त उप जिलाधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य शिक्षा अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी/परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास/ जिला पंचायत राज अधिकारी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।